रजिस्ट्री सं० डी–(डी)–72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 1976/फाल्गुन 18, 1897
No. 113] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 1976/PHALGUNA 18, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th March 1976

S.O. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 3115, dated the 1st September, 1968, namely:—

In the said notification, the brackets and words "(but not including the Collector of Central Excise, Jaipur)" shall be omitted.

[No. F. 131/22/75-GC. II-2/76]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976

का० आ० 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3115, तारीख 1 सितम्बर, 1968 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(किन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जयपुर को सम्मिलित न करते हुए)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं० एफ० 131/22/75–जी० सी० II-2/76]

S.O. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4, read with section 115, of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), and of all other powers enabling it in this behalf the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 260(E), dated the 11th June, 1975.

[No. F. 131/22/75-GC. II-3/76]

M. G. ABROL, Addl. Secy.

का० आ० 118(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 115 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 260(अ), तारीख 11 जून, 1975 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० एफ० 131/22/75–जी० सी० II-3/76]

एम० जी० अब्रोल, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976